

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म०प्र०,
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक 498 / 552 / अका०प्र० / 08,
प्रति,

भोपाल, दिनांक- 1/12/08

कुलपति,

महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय,

उज्जैन (म०प्र०)

विषय:- प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों की वर्ष 2009 की परीक्षा का आयोजन ।


संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक पासवि/वीसी/08/18 दिनांक 5.11.2008.

-----000-----

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र में उल्लेख है कि प्रदेश के सभी संस्कृत महाविद्यालय विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 55 के अंतर्गत महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन से संबद्ध हो गए हैं । किन्तु अभी अकादमिक काउंसिल का गठन एवं अन्य औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं ।

अतः आपके द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों की परीक्षाएं नियमानुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने पर आगामी सत्र 2009-10 में कराई जाना संभव हो सकेगा ।



(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त,


उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक- 1/12/08

क्रमांक 499 / 552 / अका०प्र० / 08,

प्रतिलिपि:-

कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, म०प्र० की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।



आयुक्त,

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश